



दि प्लास्टिक एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: Plexho/Cir/802

16-01.2026

को,

प्लेक्सकौन्सिल/सीओए के सभी सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: आगामी आईके सीईपीए संयुक्त समिति की बैठक के लिए टीबीटी/ट्रिप्स मुद्दों पर सदस्यों के सुझाव आमंत्रित करना

आपको सूचित किया जाता है कि प्लेक्सकौन्सिल को वाणिज्य विभाग के टीबीटी/ट्रिप्स डेस्क से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (आईके सीईपीए) के तहत आगामी संयुक्त समिति की बैठक के लिए सुझाव/एजेंडा बिंदु मांगे गए हैं।

इस संबंध में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कोरिया के साथ व्यापार से संबंधित टीबीटी/ट्रिप्स से जुड़े किसी भी मुद्दे को साझा करें, यदि कोई हो, जिसे आगामी आईके सीईपीए बैठक के दौरान उठाया जा सके।

मार्गदर्शन के लिए, सुझाव मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं:

- **व्यापार में तकनीकी बाधाएं (टीबीटी):** कोरिया द्वारा लागू किए गए अनिवार्य तकनीकी नियम, उत्पाद मानक, प्रमाणन, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग या अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाएं, जो व्यापार में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, अनुपालन लागत बढ़ा सकती हैं, देरी का कारण बन सकती हैं या उत्पादों के लागू अंतरराष्ट्रीय या भारतीय मानकों को पूरा करने के बावजूद बाजार तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती हैं।
- कोरिया में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (टीआरआईपीएस) और नियामक या आईपीआर आवश्यकताओं से उत्पन्न बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे

सदस्यगण कृपया अपने सुझाव 19 जनवरी 2025 (दोपहर 12 बजे) तक ईमेल (bharti@plexconcil.org और shilpa@plexconcil.org) के माध्यम से प्लेक्सकौन्सिल को भेजें, ताकि उन्हें समेकित करके वाणिज्य विभाग को आगे भेजा जा सके।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकॉन्सिल